पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में पक्षसमर्थन, निगरानी और इसको लागू करने के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके तथा उनका क्षमता निर्माण करके प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को सुदृढ करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के रोडमैप के तीन स्तंभ हैं:

- वित्त आयोग वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और परामर्शी कार्यों द्वारा समावेशी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरित और समग्र आयोजना

फरवरी, 2020 के महीने के प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और मंत्रालय की महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश

1. पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ग्रामीण स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान जारी करने हेतु अधिदेशित है। तदनुसार, इस माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए असम राज्य सरकार को 731.225 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश की है। इस माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए गुजरात को 217.60 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 341.63 करोड़ रुपये और सिक्किम को 3.74 करोड़ रुपये के निष्पादन अनुदान की भी सिफारिश की है।

2. पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 28 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के लिए 60,750 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। सभी राज्यों से अनुदान के हस्तांतरण / जारीकरण संबंधी गतिविधियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

3. पंचायती राज मंत्रालय के ऑनलाइन लेखा परीक्षा आवेदन के साथ ग्राम पंचायतों के खातों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 24 फरवरी, 2020 को ऑनलाइन लेखा परीक्षा पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग और लेखा परीक्षा / राज्य सरकारों के वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों / अधिकारियों ने भाग लिया।

4. अभी तक एफएफसी अवार्ड के तहत मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान का कुल आवंटन और जारी धनराशि का विस्तृत व्यौरा नीचे दिया गया है: (29.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	मूल अनुदान		निष्पादन अनुदान	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1.	2015-16	21624.46	21510.46	--	--
2.	2016-17	29942.87	29718.76	3927.65	3499.45
3.	2017-18	34596.26	33575.12	4444.71	1943.55
4.	2018-19	40021.63	37910.78	5047.53	--
5.	2019-20	54077.80	46182.87	6609.33	--
	कुल	**180263.02**	**168897.99**	**20029.22**	**5443.00**

5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र सरकार की योजना के लिए समग्र मार्गदर्शन और नीति निर्देश प्रदान करने के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2020 को माननीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की राष्ट्रीय संचालन समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

6. राज्य पंचायती राज विभाग और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों के परामर्श से रणनीति / कार्य योजना के संबंध में विचार-विमर्श और कार्ययोजना तैयार करने हेतु एवं पंचों के प्रशिक्षण के संबंध में दिनांक 28 फरवरी 2020 को सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में "पंचायत वार्ड सदस्यों को सेक्टर समर्थक / विशेषज्ञ के रूप में परिवर्तित करने" संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

7. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों को प्रेरित कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों को प्रेरित कर रहा है।
(i) वर्ष 2018-19 के लिए 91% ग्राम पंचायतों ने डे-बुक और मंथ-बुक बंद कर दी है और लगभग 85% ग्राम पंचायतों ने अपनी ईयर-बुक बंद कर दी हैं।
(ii) 2019-20 के चालू वर्ष के लिए 75% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ-बुक बंद कर दी हैं।
(iii) 99% ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड के साथ मैप किया गया है।

8. इसके अलावा, 1,24,038 ग्राम पंचायतों को प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस में ऑन-बोर्ड किया गया है जिसमें से 98,981 ग्राम पंचायतों ने 14वें वित्त आयोग के तहत आने वाले खर्च के लिए प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस (पीपीआई) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है। ऑनकम ऑन-बोर्ड पीपीआई के संबंध में शेष राज्यों के लिए कई वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) भी आयोजित किए गए हैं ताकि उन्हें इस सत्र हेतु व्यावहारिक व क्रियाशील बनाया जा सके।

9. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो मौजूदा पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) अनुप्रयोगों में उपलब्ध कार्यात्मकताओं को समाहित करता है। इस पोर्टल को कार्य आधारित लेखांकन में परिवर्तन के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के तहत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों के लिए किए गए प्रत्येक व्यय पर नज़र रखना है इस संबंध में, मैसूर और मोहाली में क्रमश: 07 एवं 08 फरवरी, 2020 और फरवरी 19 एवं 20, 2020 को मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

10. ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए 03 फरवरी, 2020 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान 'ग्राम मानचित्र' - भू स्थानिक आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली को बढ़ाने और एनआरएससी स्थानिक आँकड़ा एकीकरण के साथ ग्राम मानचित्र सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया था। यह परिकल्पना की गई कि जीपीडीपी की तैयारी में ग्राम पंचायतों का समर्थन करने और ग्राम / ग्राम पंचायत की जरूरतों के लिए प्रासंगिक स्थानिक विश्लेषण आँकड़े प्रदान करने के लिए स्थानिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

*****

Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of February, 2020

1. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is mandated to recommend release of Fourteenth Finance Commission (FFC) grants to rural local bodies. Accordingly, during the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of 2nd instalment of Basic Grant of Rs.731.225 crore to the State Government of Assam for FY 2019-20. During the month, MoPR has also recommended to MoF for release of Performance Grant of Rs. 217.60 crore to Gujarat, Rs. 341.63 crore to Madhya Pradesh and Rs. 3.74 crore to Sikkim for FY 2018-19.

2. Fifteenth Finance Commission has recommended Rs.60,750 crore to all tier of Rural Local Bodies of 28 States for FY 2020-21. All States have been requested to expedite the preparatory activities regarding transfer/ release of the grant.

3. A meeting on audit online was held on 24th February, 2020 to discuss issues related to online auditing of accounts of Gram Panchayats with the Auditonline application of MoPR. Officers/ Officials from Panchayati Raj & Rural Development Department and Audit/Finance Department of State Governments participated in the meeting.

4. The total allocation and release of Basic Grant and Performance Grant under the FFC award so far is detailed below: (as on 29.02.2020)

(Rs. in crore)

Sl. No.	Year	Basic Grant		Performance Grant	
		Allocation	Release	Allocation	Release
1.	2015-16	21624.46	21510.46	--	--
2.	2016-17	29942.87	29718.76	3927.65	3499.45
3.	2017-18	34596.26	33575.12	4444.71	1943.55
4.	2018-19	40021.63	37910.78	5047.53	--
5.	2019-20	54077.80	46182.87	6609.33	--
	Total	**180263.02**	**168897.99**	**20029.22**	**5443.00**

5. A Meeting of the National Steering Committee of the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) under the chairmanship of the Hon'ble Minister of Panchayati Raj for providing overall guidance and policy direction for the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) organized on 27th February 2020**.**

6. A Workshop on "Transforming Gram Panchayat ward members into Sector Enablers/Specialists organized on 28th February 2020 under the Chairmanship of Secretary,

Panchayati Raj to deliberate and chalk out the strategy/action plan regarding the training of panches, in consultation with the State Panchayati Raj Department and State Institutes of Rural Development (SIRDs) and Panchayati Raj Training Institutes (PRITs).

7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing the States for closure of account on PRIASoft as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS.

(i) For the year 2018-19,91% of GPs have closed day book and month books and around 85% of Gram Panchayats have closed their year books.
(ii) For the current year of 2019-20, 75% of the GPs have closed their month books.
(iii) 99% of the Gram Panchayats have been mapped with LGD codes on PFMS.

8. Furthermore, 1,24,038 Gram Panchayats have on-boarded PRIASoft-PFMS interface; out of which 98,981 GPs have carried out online payments through PRIASoft-PFMS Interface (PPI) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission. For the remaining States on come on-board PPI, several Video Conferences (VCs) have also been conducted to provide them with a hands-on session.

9. A unified portal is being developed by the Ministry of Panchayati Raj which is a single Application amalgamating the functionalities available in the existing Panchayat Enterprise Suite (PES) Applications. This portal is developed with an aim of transitioning to Work Based Accounting, which essentially means tracking every expenditure incurred for each of the activities proposed under the Gram Panchayat Development Plans. In this regard, training workshops for Master Trainers were organized in Mysore and Mohali on February 07 & 08, 2020 and February19 & 20, 2020 respectively.

10. A meeting to discuss the need of Geo-spatial technology in preparation of Gram Panchayat Development Plan was held on February 03, 2020. During the meeting held it was decided to further enhance ‘Gram Manchitra’ – Geo Spatial Based Decision Support System and begin integration of NRSC spatial data service with Gram Manchitra. It is envisaged that the Spatial technology shall be used to support Gram Panchayats in preparation of GPDP and provide spatial analysis data relevant to the rural/ GP needs.

*****